न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं)

मु.न. 103/2017

उनवान

1. रामचन्द पुत्र नारायण, उम्र 53 वर्ष करीब,
2. हरिराम पुत्र नारायण, उम्र 50 वर्ष करीब,
3. सीताराम पुत्र नारायण, उम्र 45 वर्ष करीब,
4. चम्पा देवी पत्नी सेवाराम, उम्र 50 वर्ष करीब
5. राधेश्याम पुत्र सेवाराम, उम्र 35 वर्ष करीब

समस्त जाति अहीर, निवासी लोहरवाडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्याम लाल पुत्र रामनाथ,
2. शंकर लाल पुत्र रामनाथ,
3. मालूराम पुत्र रामनाथ,
4. प्रभूदयाल पुत्र रामनाथ,
5. मानाराम पुत्र रामनाथ,

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर।

6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, चौमूँ तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0राजस्व अधि0 1956

निर्णय दिनांक 02.06.2018

पत्रावली कैम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम लोहरवाडा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1029 रकबा 1.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1030 रकबा 1.14 हैक्टेयर कुल किता 2 का कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर, के प्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित खातेदारी आराजी का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमूँ के आदेशानुसार पटवारी हल्का लोहरवाडा एवं गिरदावर हल्का उदयपुरिया द्वारा दिनांक 11.06.17 का मौके पर अप्रार्थीगण व आस पडौस के व्यक्तियों की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर निशान किये तथा निशानात कायम करने के उपरान्त मौके पर हल्का पटवारी एवं हल्का गिरदावर द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई तथा रिपोर्ट पर उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

दिनांक 11.06.17 के सीमाज्ञान के आधार पर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की जाती हैं तो प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की रक्षा हो सकेगी तथा भविष्य में हाने वाले विवादों से छुटकारा मिल सकेगा और वाद बहुल्यता भी नहीं बढेगी।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 1029 व 1030 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर का सीमाज्ञान दिनांक 11.06.17 के आधार पर पुख्ता चिन्ह कायम कर पत्थरगढी किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 6 को आदेश प्रदान करें।

उप खण्ड अधिकारी
चौमू जिला-जयपुर

Scanned by CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि तथाकथित सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 11.06.17 को पटवारी हल्का द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर मिन जवाबदाता की उपस्थिति में मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई ना हीं कभी पडौसी खातेदारों को नोटिस दिये गये, ना हीं किसी प्रकार से सूचित किया गया एवं पटवारी एवं गिरदावर हल्का द्वारा प्रार्थीगण से सांठगांठ कर अवैध द्रव्य प्राप्त कर मनगढन्त तथ्यों के आधार पर गलत सीमाज्ञान रिपोर्ट दर्ज की है।

उक्त प्रार्थना पत्र में फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा जो फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई उसमें मिन अप्रार्थी को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई व पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण से मिलीभगत कर बाला–बाला ही रिपोर्ट तहसीलदर चौमूँ के समक्ष पेश कर दी। उक्त रिपोर्ट पर मिन अप्रार्थी के कोई हस्ताक्षर नहीं है।

उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा तथाकथित फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट 11.06.17 को तैयार की गई है उसमें खसरा नम्बर 984 गै.मु. चाह जो मौके पर उपलब्ध नहीं था जिसे प्रार्थीगण के बताये अनुसार ही कायम कर रिपोर्ट तैयार की गई है और उसी के अन्तर्गत पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 1022 की मौके की सीमा से 15 कडी जाती है तदउपरान्त पटवारी हल्का द्वारा हाडौता, लोहरवाडा व उदयपुरिया के तिगडे काकड से जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें खसरा नम्बर 1022 की सीमा को सही माना है इस प्रकार पटवारी द्वारा दिनांक 11.06.17 को तथाकथित फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई है वह स्पष्ट नहीं है जिसके आधार पर पत्थरगढी किया जाना कतई सम्भव नहीं है।

उक्त प्रकरण में मिन जवाबदाता की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करवाये जाने से मौके की वास्तविक रिपोर्ट न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्राप्त हो सकेगी इस हेतु अन्य किसी पटवारी हल्का एवं गिरदावर हल्का से सीमाज्ञान करवाया जाना एवं सीमाज्ञान के समय स्वयं तहसीलदार चौमूँ को उपस्थित रखे जाने से वास्तविक सीमाज्ञान की रिपोर्ट न्यायालय श्रीमान् के समक्ष आ सकेगी जिससे न्यायालय श्रीमान् को न्याय करने में सुलभता रहेगी एवं किसी भी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी।

प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों को सुना गया। पक्षकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 11.06.2017 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 11.06.2017 के अनुसार उभयपक्षकारों को सूचित करते हुये पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2018 को मेरे द्वारा कैम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं में सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमू (जयपुर)

उप खण्ड अधिकारी
चौमू

Scanned by CamScanner